राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन-पत्र संख्या 10122//2017

Ramprasad @ Habu S/o Babu Lal, B/c Meena, R/o Bhanvta, Police Station Kolwa, District Dausa (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined in District Jail Dausa).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

31.07.2017

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री के एल मीणा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री रिशीराज सिंह, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रार्थी को पुलिस थाना- सैंथल पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 127/2016 अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में नियमित जमानत दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उसे इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। विचारण में समय लगने की संभावना है, अत: प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

दोनों पक्षों द्वारा रखे गये कथनों पर विचार करने व उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन व परिशीलन करने के बाद एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी रामप्रसाद उर्फ हाबू विचारण न्यायालय के संतोषानुसार रूपये 1,00,000/-(अक्षरे रूपये एक लाख मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व रूपये 50,000-50,000/- की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय

के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी को पुलिस थाना- सैंथल पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 127/2016 अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में, यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में यदि प्रार्थी की किसी आपराधिक प्रकरण में लिप्तता पाई जाती है तो संबंधित थानाधिकारी विचारण न्यायालय के समक्ष इस आदेश को निरस्त कराने को स्वतंत्र होंगे तथा विचारण न्यायालय को प्रार्थी की जमानत को इस न्यायालय को संदर्भित किये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

बीएल जैन//**36**